28.10.17	आज पीठासीन अधिकारी के [illegible] पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23.1.18 को पेश है। (हस्ताक्षर) रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां) [illegible]	
23.1.18	आज पीठासीन अधिकारी के [illegible] पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12.3.18 को पेश है। (हस्ताक्षर) रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां)	
12-3-18	पत्रावली पेश हुई वकलाए फरीकैन हाजिर जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9-4-18	पत्रावली पेश हुई वकलाए फरीकैन हाजिर जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6-6-18	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत -[illegible] आपके [illegible] कैम्प [illegible] पर पेश हुई पक्षकारान हाजिर आए। पक्षकारान द्वारा कैम्प [illegible] पर उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया समझाया गया। सुनकर एवं समझने के बाद पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	बजरंगलाल राकेश कमलाशंकर [illegible] मुख्तियार

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सारथल
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :– 30/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 07.03.2017
निर्णय दिनांक :– 06.06.2018

उनवान

1. बजरंगलाल पुत्र द्वारकीलाल जाति काछी निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. राकेश नाबा0
3. शिवराज नाबा0 पुत्र द्वारकीलाल नाबा0 की वलिया एवं प्राकृतिक संरक्षका माता कमलाबाई बेवा द्वारकीलाल जाति काछी निवासी गण सारथल तह0 छीपाबडौद जिला बारां।

बनाम

1. भूलीबाई पुत्री मांग्या उर्फ मांगीलाल बेवा अमरचन्द जाति काछी निवासी सारथल तह0 छीपाबडौद
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 06.06.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88, 53, 188** आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी कम 2 व 3 नाबा0 है जिनके पिता द्वारकीलाल का स्वर्गवास हो गया माता कमलाबाई बेवा द्वारकीलाल नाबा0 की वलिया व प्राकृतिक संरक्षका है उक्त नाबा0 वादी कम 2 व 3 का हित उनकी माता कमलाबाई के हितो के विपरीत भी नहीं है लिहाजा यह दावा वादी कम 2 व 3 का जर्ये वलिया माता कमला बाई के माध्यम से पेश किया है। वादीगण के पिता द्वारकीलाल की माता प्रतिवादी कम 1 भूलीबाई है जो वादीगण की दादी है वादीगण की दादी भूलीबाई को आराजीयात अपने पिता मांगीलाल से उनकी मृत्यु के बाद बतौर विरासत प्राप्त हुई थी। आराजी ख0नं0 88 रकवा 11.02 बीघा, ख0नं0 89 रकवा 11 बिस्वा, ख0नं0 235 रकवा 6.17 बीघा, ख0नं0 872 रकवा 01 बिस्वा, ख0नं0 873 रकवा 1.18 बीघा, ख0नं0 874 रकवा 04 बिस्वा, ख0नं0 875 रकवा 06 बिस्वा किता 7 रकवा 20.19 बीघा वाके ग्राम सारथल तह0 छीपाबडौद में स्थित है। आराजी ख0नं0 16 रकवा 10.14 बीघा, ख0नं0 17 रकवा 18 बिस्वा, ख0नं0 482 रकवा 05 बिस्वा, ख0नं0 483 रकवा 3.03 बीघा, ख0नं0 484 रकवा 07 बिस्वा कुल किता 5 रकवा 15.07 बीघा वाके ग्राम सारथल तह0 छीपाबडौद में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी कम 1 भूलीबाई की स्वअर्जित नहीं है बल्कि भूलीबाई प्रतिवादी कम 1 को अपने पिता मांग्या उर्फ मांगीलाल से बतौर विरासत प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण को पैदायशी हक हासिल है तथा उक्त आराजीयात में वादीगण का उक्त वर्णित आराजीयात में 3/4 हिस्सा है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त वर्णित आराजी को 3/4 खाते दर्ज कराने का निवेदन किया था, लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ने टामलटूल की है। इन हालात मे वादीगण के लिये इस आशय की घोषणा करा पाला नितान्त आवश्यक हो गया है, कि वादीगण का उक्त वर्णित आराजीयात मे हिस्सा 3/4 है। वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त मे पारिवारिक वैमनस्यता के परिणामस्वरूप नही रखना चाहते तथा अपना हिस्सा पृथक कराना चाहते है। इस हेतु भी वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

निवेदन करने पर उनके द्वारा मना कर देने के कारण उक्त आराजीयात का तकास्मा करा पाना भी मामले के तथ्यो परिस्थितियों मे नितान्त आवश्यक हो गया है। अब प्रतिवादी क्रम 1 उक्त वर्णित आराजीयात को अन्तरित करने को आमादा है। इन हालात मे वादीगण के लिये प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हासिल करना आवश्यक हो गया है, कि वह विवादित आराजीयात को अन्तरित न करे, न ही राजस्व रिकार्ड मे सिवाय प्रस्तुत वाद मे पारित डिक्री के किसी अन्य प्रकार से अमल दरामद न करावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.09.2016 को उत्पन्न हुआ। जब वादीगण ने उक्त वर्णित आराजीयात 3/4 हिस्सा वादीगण के खाते दर्ज करवाकर उक्त आराजीयात अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजीयात का तकास्मा कराने का निवेदन करने तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा टामलटूल करते हुये अन्ततः मना कर देने तथा उक्त आराजीयात को अन्तरित करने राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराने का प्रयास करने व इसके बाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 17.09.2016 को प्रेषित करने उक्त नोटिस की अनुपालना करने मे प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा भी निर्धारित समयावधी व आज पर्यन्त को ही कार्यवाही न करने पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार की सीमाओ में उत्पन्न हुआ। लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2037–40, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2037–40 खाता संख्या 446, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 203, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 199, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2042–45, खाता संख्या 41, 42, 43, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2046–49, खाता संख्या 41, 42, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2050–53, खाता संख्या 204, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 44, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 217, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 42, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 269, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 267, नकल जमाबन्दी ग्राम सारथल सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 312 पेश की गई।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सारथल पर रखा गया। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सारथल पर स्वयं उपस्थित होकर राजीनाम इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान के केस मे हमारे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। ग्राम सारथल की आराजी खाता संख्या 286 के खसरा नंबर 88 रकबा 11.02 बीघा, खसरा नंबर 89 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 235 रकबा 6.17 बीघा, खसरा नंबर 872 रकबा 01 बिस्वा खसरा नंबर 873 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 874 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 875 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 20.019 बीघा मे से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम सारथल मे राजीनामे के तहत् विवादित आराजीयात मे से आधी यानि की 1/2 हिस्सा वादीगण एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 भूलीबाई के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान कर खाते व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। पक्षकारान द्वारा उक्त राजीनामे के आधार पर विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 भूली बाई के मध्य हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प सारथल

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ोद जिला बारां

Scanned by CamScanner

पर पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया, एवं समझाया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा सुनकर पढ़कर व समझने के बाद राजीनामे पर हस्ताक्षर किये गये, तथा उनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत सारथल द्वारा की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सारथल पर आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सारथल की आराजी खाता संख्या 286 के खसरा नंबर 88 रकबा 11.02 बीघा, खसरा नंबर 89 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 235 रकबा 6.17 बीघा, खसरा नंबर 872 रकबा 01 बिस्वा खसरा नंबर 873 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नंबर 874 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 875 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 20.019 बीघा मे वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner